न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 122/2019

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 2401, जनरल थिम्मया रोड (ईस्ट स्ट्रीट), कन्टोनमेन्ट पुणे– 411001, कन्ज्यूमर डिविजन निगम कार्यालय, 34, जी एन चेटी रोड, टी नगर चैन्नई–600017, क्षेत्रीय कार्यालय 5 वीं मंजिल यूनिक एसपायर बिल्डिंग आम्रपाली सर्किल के पास क्विंन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पुरूषोतम।

–– प्रार्थी

बनाम

1. रोहिताश कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द्र, निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनू।
––(ऋणी) अप्रार्थी
2. रोहिताश कुमार पुत्र श्री नारायण राम, निवासी सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
––(सहऋणी / बंधनकर्ता) अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गगत धारा 14 वित्तिय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

––

उपस्थितः– एडवोकेट श्री मधुसूदन शर्मा (इंडसइंड बैंक) –............ प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.07.2019

प्रार्थी इंडसइंड बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी सं0 2 ने बतौर सह ऋणी प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड से दिनांक **20.11.2012** को ऋण अनुबन्ध सं0 **आरजेएच 00073 ई** निष्पादित कर **40,00,000/–** रूपये **(अक्षरे चालीस लाख रूपये मात्र)** का ऋण लिया था, अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण अनुबन्ध अन्तर्गत लिये गये ऋण व उसके ब्याज के पूर्ण भुगतान सिक्योरिटी के रूप मे प्रार्थी बैंक से ऋण अनुबन्ध सं0 **आरजेएच 00123 ई** के अन्तर्गत ऋणित बैक्होलोडर रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ18EA0256 चेसिस नम्बर 1734071, इंजन नम्बर H00002668 एवं मॉडल JCB 3DX BACKHOE LOADER प्रार्थी इंडसंइड बैंक लिमिटेड के पक्ष मे बंधक किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी को उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और ऋण के भुगतान मे व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थीगण का खाता एन0पी0ए0 घोषित कर दिया। अप्रार्थीगण के ऋण खाते मे मय ब्याज दिनांक **30.06.2018** तक रूपये **21,68,564/–** देय निकलते है और इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक **11.07.2018** को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को नही दिया गया। अप्रार्थीगण ने धारा 13 (2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस मे वर्णित अवधि मे देय ऋण राशिं का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को नही किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 की धारा के प्रावधान 14 के अनुसार प्रार्थी बैंक

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

चरण सं0 2 मे वर्णित प्रत्याभूत संपति का श्रीमान् के द्वारा कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश इस आशय का फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 मे वर्णित प्रत्याभूत वाहन का कब्जा जहां कहीं भी स्थित/प्रयोग मे हो उस क्षेत्र से प्रार्थी को स्वयं, ऐजेन्ट या नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे, यह भी आदेशित किया जावे कि आवश्यकता होने पर वाहन जहां कहीं भी स्थित/प्रयोग मे हो उस क्षेत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक स्वयं या अपने मातहत से वाहन का कब्जा पुलिस बल द्वारा अप्रार्थीगण से प्राप्त करे तथा कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रत्याभूत वाहन का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करे दिलाने के आदेश पारित फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखे गये बैक्होलोडर रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ18EA0256** चेसिस नम्बर **1734071**, इंजन नम्बर **H00002668** एवं मॉडल **JCB 3DX BACKHOE LOADER** का पजेशन प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक **24.07.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू